

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 11 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 30,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन कनविकशन* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन शिकंजा* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 30.01.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 225/2018 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 02- मु0अ0सं0 839/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 03- मु0अ0सं0 853/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भा0द0वि0, 04- मु0अ0सं0 55/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 05- मु0अ0सं0 52/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 06- मु0अ0सं0 330/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 07- मु0अ0सं0 959/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 08- मु0अ0सं0 738/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 9- मु0अ0सं0 660/2016 धारा 3/5/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 10- 1558/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11- 286/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलों में क्रमशः दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01- निहाल पुत्र एहसानुल्लाह निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- इसरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- इसरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 429 भा0द0वि0 के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- इसरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- चुन्ना उर्फ समसुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 2- जुनैद अहमद पुत्र चुन्ना उर्फ समसुद्दीन निवासी सेहुड़ा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के

तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- युसुफ पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

07- आजाद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

08- समसुद्दीन पुत्र रमजान निवासी लेडुआ महुआ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

09- अभियुक्तगण 1- सोनू पुत्र हसन 2- अरबाज पुत्र हसन निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

10- अभियुक्तगण 1- इसरार पुत्र सहीर 2- इकबाल पुत्र मुस्ताक उर्फ बूढ़े 3- अब्बास पुत्र मुस्ताक उर्फ बूढ़े निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

11-अभियुक्त मो0 निहाल पुत्र एहसानुल्लाह निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.01.2024

आज दिनांक 30.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा परिवारिक विवाद से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत पिपरा से इवेन्ट संख्या 00944 से कालर द्वारा परिवारिक विवाद से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 01 व्यक्ति (रामअशीष पुत्र जयसिंह निवासी पिपरा थाना थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 कुंज बिहारी यादव, आ0 संदीप कुमार, हो0चा0 बिरेन्द्र चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 124 वाहनों से 1,67,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 124 वाहनों से 1,67,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.01.2024*

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में गैंगेस्टर / वांछित / इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री इन्द्र भूषण सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. हरिद्वार पुत्र मुसे उर्फ मुसई 2. अजय उर्फ अजाऊ पुत्र हरिद्वार निवासीगण अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को बौरव्यास चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हरिद्वार पुत्र मुसे उर्फ मुसई निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर ।

2. अजय उर्फ अजाऊ पुत्र हरिद्वार निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर

संक्षिप्त विवरण:- विदित हो कि उक्त अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है । अभियुक्त का संगठित गिरोह होने व गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करने जिससे कि समाज में एवं आम जनमानस में काफी भय और आतंक का माहौल रहने आदि के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव, हे0का0 इल्ताफ खान, का0 अनिल कुमार ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में गैंगेस्टर / वांछित / इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री ब्रजेश सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 275/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अब्दुल अजीज पुत्र शमीम अहमद निवासी दरियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को इस्लामनगर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अब्दुल अजीज पुत्र शमीम अहमद निवासी दरियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरण:- विदित हो कि उक्त अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त का संगठित गिरोह होने व गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करने जिससे कि समाज में एवं आम जनमानस में काफी भय और आतंक का माहौल रहने आदि के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, का0 सूर्यनारायण गुप्ता।

*जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.01.2024*

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 21 अभियोगों में 32 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 60,600 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन शिकंजा* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 30.01.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 248/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता गुफरान पुत्र सलीम निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 141/2000 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मकसूद पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 199/1999 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मो0 याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 1073/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इस्लाम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 225/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- गुफरान पुत्र सलीम 2- नूरुल पुत्र रहीम निवासीगण सालेहपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

6- मु0अ0सं0 176/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- जलालुद्दीन उर्फ मुन्ना 2- मुईनुद्दीन पुत्रगण मुस्तकीम निवासीगण पिपरा डोमन (तकियवा) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

7- मु0अ0सं0 09/1994 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- याकूब 2- मकसूद पुत्रगण नजीर निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 8- मु0अ0सं0 575/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इस्लाम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

9- मु0अ0सं0 141/2003 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- मुनीर पुत्र बहीरु उर्फ नबी मोहम्मद निवासी जातेडीह थाना दुधारा 2- अब्दुल हकीम उर्फ लोको पुत्र मुराद बंजारा निवासी देवपुर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

10- मु0अ0सं0 32/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- बबलू पुत्र मजीद उर्फ नाटे 2- आलम पुत्र पुर्दिल उर्फ अब्दुल सत्तार 3- शफीक पुत्र इस्लाम 4- अनारुल पुत्र रफीक निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-

न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

18- मु0अ0सं0 479/2007 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इसरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भा0द0वि0 के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

19- मु0अ0सं0 1888/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इसरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

20- मु0अ0सं0 1017/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता जलालुद्दीन पुत्र फरीद बक्श निवासी बभनी बौरा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

21- मु0अ0सं0 1482/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा 353/336 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- शोएब पुत्र अब्दुल कादिर 2- अब्दुल कादिर पुत्र शरीफ निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 353/336 भा0द0वि0 के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 -2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.01.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थान पर लगवाये गये 17 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 30.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 17 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरें व थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान 12 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।